छत्तीसगढ़ शासन
वित्त विभाग
-:: मंत्रालय ::-
महानदी भवन, नवा रायपुर अटल नगर

क्रमांक :374/147/वि/नि/चार/2024 नवा रायपुर, दिनांक- 24/06/2024

प्रति,

संचालक,
पेंशन एवं भविष्य निधि,
इन्द्रावती भवन, नवा रायपुर अटल नगर,
छत्तीसगढ़.

विषय :- पुरानी पेंशन योजना लागू होने के फलस्वरूप शिक्षक (एल.बी.) के संविलियन पश्चात् पुरानी पेंशन योजना का विकल्प लेने पर सेवानिवृत्त/मृत्यु के प्रकरणों में पेंशन/परिवार पेंशन जारी करने एवं प्रान में जमा राशि के समायोजन बाबत्।

संदर्भ :- आपका पत्र क्रमांक सीजीपीएफ/फा.-01/2024/698, दिनांक 04.04.2024।

--00--

विषयांतर्गत संदर्भित पत्र द्वारा चाहे गये मार्गदर्शन के संबंध में लेख है कि-

1. स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा जारी संविलियन आदेश दिनांक 30.06.2018 की सेवा-शर्तें की कंडिका-4 के अनुसार शिक्षक (एल.बी.) संवर्ग को देय समस्त लाभ के लिए सेवा की गणना संविलियन दिनांक 01.07.2018 से की जाएगी।

2. वित्त विभाग के अधिसूचना क्रमांक 2016/04-03289 दिनांक 20.01.2023 के द्वारा राज्य शासन की पेंशन योग्य स्थापना में नियुक्त समस्त कर्मचारियों के लिए पुरानी पेंशन योजना बहाल की गई है, जिसके कंडिका- 5(स) में लेख है कि सेवानिवृत्त शासकीय सेवक को लागू पेंशन नियम यथा छ.ग. सिविल सेवा पेंशन नियम, 1976/छ.ग. (कार्यभारित तथा आकस्मिकता से वेतन पाने वाले कर्मचारी) पेंशन नियम, 1979 के प्रावधानों के अंतर्गत पेंशन की पात्रता होने पर पेंशन भुगतान आदेश जारी किया जाएगा।

3. पेंशन नियम, 1976 के नियम- 3 परिभाषाओं के अंतर्गत नियम-1(पी) अर्हतादायी सेवा में लेख है कि अर्हतादायी सेवा से अभिप्रेत है कि राज्य शासन के अधीन पेंशन योग्य सेवा में कार्यभार ग्रहण करने की तिथि और उसके सेवानिवृत्ति की तिथि के बीच की कालावधि जो इन नियमों के अधीन पेंशन और उपादान के उद्देश्यों के लिए संगणना में ली जाती है और उसमें तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य आदेश अथवा नियम के अधीन अर्हतादायी कालावधि शामिल है।

4. चूंकि स्कूल शिक्षा विभाग के आदेश दिनांक 30.06.2018 के द्वारा शिक्षक (एल.बी.) संवर्ग को दिनांक 01.07.2018 से शासकीय सेवा में पेंशन योग्य स्थापना में नियुक्त किया गया है तथा समस्त लाभों की गणना संविलियन दिनांक से किये जाने का निर्णय लिया गया है। अतः उनके पेंशन निर्धारण हेतु सेवा की गणना दिनांक 01.07.2018 अथवा उसके पश्चात् संविलियन दिनांक से ही की जाएगी।

5. उक्त स्थिति में, वित्त विभाग की अधिसूचना दिनांक 20.01.2023 के अनुसार शिक्षक (एल.बी.) संवर्ग के शासकीय सेवक की सेवानिवृत्ति/मृत्यु के प्रकरण में उनके एनपीएस योजना के अंतर्गत 01.07.2018 के पश्चात् जमा शासकीय अंशदान एवं उस पर अर्जित लाभांश की राशि शासकीय खाते में जमा किये जाने के पश्चात् ही उनके पेंशन प्राधिकार पत्र जारी किये जाएंगे। उक्त दिनांक 01.07.2018 के पूर्व की एनपीएस योजनांतर्गत जमा समस्त राशि अभिदाता को वापिस किया जाएगा।

6. उक्त प्रक्रियानुसार शिक्षक (एल.बी.) संवर्ग के सेवानिवृत्ति/मृत्यु के प्रकरणों पर कार्यवाही सुनिश्चित करें।

(इन्द्रप्रकाश रात्रे)
अवर सचिव

पृष्ठां. क्रमांक :375147/वि/नि/चार/2024 — नवा रायपुर, दिनांक-24/06/2024

प्रतिलिपि,

1. सचिव, छ.ग. शासन, स्कूल शिक्षा विभाग, महानदी भवन, मंत्रालय, नवा रायपुर।
2. सचिव, छ.ग. शासन, सामान्य प्रशासन विभाग, महानदी भवन, मंत्रालय, नवा रायपुर।
3. संचालक, संचालनालय लोक शिक्षण, इन्द्रावती भवन, नवा रायपुर।

.... की ओर सूचनार्थ।

अवर सचिव